RNI No. MAHBIL /2009/31733

सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-अ

वर्ष ९, अंक ८९] शुक्रवार, ऑगस्ट १८, २०२३/श्रावण २७, शके १९४५ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १५.००

**असाधारण क्रमांक १७९**

### प्राधिकृत प्रकाशन

**महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले**
**(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.**

### विधि व न्याय विभाग

मंत्रालय, ५ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२३.

**अधिसूचना**

**महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम, १८६९.**

क्रमांक संकीर्ण-१११४/११५३/प्र.क्र.२१०/कार्यासन-११.—महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम, (१८६९ चा १४) याची कलमे २१,२२अ आणि २३ यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि यापूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचना, जेथवर, अहमदनगर जिल्हा न्यायालयास दुय्यम असलेले दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, अकोले, यांच्या न्यायालयाशी संबंधित असतील तेथवर, त्यामध्ये अंशतः फेरबदल करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे असे निदेश देत आहे की, दि. २० ऑगस्ट, २०२३ पासून,—

(क) राजूर येथे अहमदनगर जिल्ह्यामधील जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यास दुय्यम असलेले एक दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर असेल ;

(ख) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर हे उक्त न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी असतील आणि ते राजूर येथे त्यांचे न्यायालय भरवतील; आणि

(ग) राजूर येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांस, ज्या दाव्यांची दखल घेण्यास एकतर स्पष्टपणे किंवा ध्वनितपणे प्रतिबंध केलेला असेल असे दावे वगळता, ज्या दाव्यांची विषयवस्तू उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा किंवा मूल्यापेक्षा अधिक नसेल अशा, दिवाणी स्वरूपाच्या सर्व दाव्यांची न्यायचौकशी करण्याची अधिकारिता असेल ;

(घ) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, राजूर यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या गावांच्या स्थानिक सीमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांचा समावेश असेल, जी गावे यापूर्वी, दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर, अकोले यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये समाविष्ट केलेली होती ती गावे त्यामधून वगळण्यात येतील; आणि

(ङ) ज्या प्रकरणांची दखल घेण्यास एकतर स्पष्टपणे किंवा ध्वनितपणे प्रतिबंध करण्यात आला असेल, अशी प्रकरणे वगळता, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या गावांमध्ये उद्भवणारी आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, अकोले यांच्या न्यायालयात दाखल केलेली व प्रलंबित असलेली दिवाणी प्रकरणे ही, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, राजूर यांच्या न्यायालयात हस्तांतरीत करण्यात येतील.

## अनुसूची

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, अकोले यांच्या अधिकारितेतून वगळलेली गावे आणि
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, राजूर यांच्या अधिकारितेत समाविष्ट केलेली गावे.

### गावांची यादी

| अ.क्र. | गावाचे नाव | अ.क्र. | गावाचे नाव | अ.क्र. | गावाचे नाव | अ.क्र. | गावाचे नाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | राजूर | २१ | लाडगांव | ४१ | रंधा खु. | ६१ | घाटघर |
| २ | शेलद | २२ | आंबेवगंण | ४२ | कोंदणी | ६२ | पांजरे |
| ३ | चितळवेढे | २३ | बाभुळवंडी | ४३ | गुहिरे | ६३ | शिंगणदरी |
| ४ | कोहंडी | २४ | बितींगा | ४४ | जामगांव | ६४ | कोलटेंभे |
| ५ | केळुंगण | २५ | चंदगिरवाडी | ४५ | घोटी (शेळवंडी) | ६५ | भंडारदारा |
| ६ | माळेगांव | २६ | बलठण | ४६ | सोमलवाडी | ६६ | वारंघुशी |
| ७ | साकीरवाडी | २७ | लव्हाळी (कोतूळ) | ४७ | पिंपरी | ६७ | चिंचोडी |
| ८ | पिंपरकणे | २८ | कोथळा | ४८ | विहीरे | ६८ | मान्हेरे |
| ९ | देवगांव | २९ | शिरपुंज खु. | ४९ | कोहणे | ६९ | रंधा बु. |
| १० | शेणीत | ३० | धामणवन | ५० | वाळुंजशेत | ७० | तेरुंगण |
| ११ | पाभुळवंडी | ३१ | चिंचवणे | ५१ | खडकी खु. | ७१ | शिलवंडी |
| १२ | एकदरा | ३२ | शिसवद | ५२ | बारववाडी | ७२ | फोफसंडी |
| १३ | पाडाळणे | ३३ | रतनवाडी | ५३ | टिटवी | ७३ | गोंदुशि |
| १४ | विठा | ३४ | मुरशेत | ५४ | पाचनई | ७४ | वाघदरी |
| १५ | दिगंबर | ३५ | उडदावणे | ५५ | कुमशेत | ७५ | जहागिरदारवाडी |
| १६ | काताळपूर | ३६ | साम्रद | ५६ | शिरपुंज बु. | ७६ | तळे |
| १७ | सावरकुटे | ३७ | मुतखेल | ५७ | आंबीत | ७७ | मवेशी |
| १८ | माणिक ओझर | ३८ | बारी | ५८ | लव्हाळी (ओतूर) | ७८ | शिंदे |
| १९ | कौठवाडी | ३९ | पेंडशेत | ५९ | पुरुषवाडी | ७९ | खडकी बु. |
| २० | शेलविहीरे | ४० | वाकी | ६० | शेंडी | | |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**विलास व्ही. गायकवाड,**

शासनाचे विधि सल्लागार-नि- सहसचिव.

## LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032,
dated the 14th August, 2023.

*NOTIFICATION*

MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT, 1869.

No. Sankiran-1114/1153/C.R.210/Desk-11.—In exercise of the powers conferred by Sections 21, 22A and 23 of the Maharashtra Civil Courts Act, 1869 (XIV of 1869), and in partial modification of all the Government Notifications issued in this behalf; in so far as they relate to the Court of Civil Judge Junior Division, Akole, sub-ordinate to the Distirct Court of Ahmednagar, the Government of Maharashtra, hereby, with effect from the 20th August, 2023, directs that,—

(*a*) there shall be a Civil Court Junior Division at Rajur, sub-ordinate to the District Court of Ahmednagar, in Ahmednagar District;

(*b*) the said Court shall be presided over by the Civil Judge Junior Division, Rajur, who shall hold his Court at Rajur in Ahmednagar District ; and

(*c*) the Civil Judge Junior Division at Rajur, shall have jurisdiction to try all suits of Civil nature as defined in section 24 of the said Act, the subject matter of which does not exceed in amount or value mentioned in the section 24 excepting the suits, the cognizance of which is either expressly or impliedly barred;

(*d*) the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge Junior Division, Rajur, shall comprised of the areas covered within the local limits of the villages mentioned in *Schedule* appended hereto, which were heretofore included within the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge Junior Division, Akole, shall be excluded therefrom ; and

(*e*) the civil cases arising out of the villages mentioned in *Schedule* appended hereto being filed and pending in the Court of Civil Judge Junior Division, Akole excepting the cases, the cognizance of which is either expressly or impliedly barred, shall stand transferred to Court of Civil Judge Junior Divion , at Rajur.

*Schedule*

List of villages excluded from the jurisdiction of the Court of Civil Judge, Junior Division Akole and included in the jurisdiction of Court of Civil Judge, Junior Division Rajur.

**List of Villages**

| Sr. No. | Name of Village | Sr. No. | Name of Village | Sr. No. | Name of Village | Sr. No. | Name of Village |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajur | 21 | Ladgaon | 41 | Randha Kd. | 61 | Ghatghar |
| 2 | Shelad | 22 | Ambevangan | 42 | Kondani | 62 | Panjare |
| 3 | Chitalwedhe | 23 | Babhulwandi | 43 | Guhire | 63 | Shinganwadi |
| 4 | Kohandi | 24 | Bitinga | 44 | Jamgaon | 64 | Koltembhe |
| 5 | Kelungan | 25 | Chandgirwadi | 45 | Ghoti (Shilwandi) | 65 | Bhandardara |
| 6 | Malegaon | 26 | Balthan | 46 | Somalwadi | 66 | Waranghushi |
| 7 | Sakirwadi | 27 | Lavali (Kotul) | 47 | Pimpri | 67 | Chichondi |
| 8 | Pimparkane | 28 | Kothala | 48 | Vihire | 68 | Manhere |
| 9 | Deogaon | 29 | Shirpunje Kd. | 49 | Kohane | 69 | Randha Bk. |
| 10 | Shenit | 30 | Dhamanwan | 50 | Walunjshet | 70 | Terungan |
| 11 | Pabhaluwandi | 31 | Chinchawane | 51 | Khadaki Kd. | 71 | Shilwandi |
| 12 | Ekdara | 32 | Shiswad | 52 | Baravwadi | 72 | Phophasandi |

| Sr. No. | Name of Village | Sr. No. | Name of Village | Sr. No. | Name of Village | Sr. No. | Name of Village |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Padalne | 33 | Ratanwadi | 53 | Titavi | 73 | Gondushi |
| 14 | Vitha | 34 | Murshet | 54 | Pachnai | 74 | Waghdari |
| 15 | Digambar | 35 | Udadawane | 55 | Kumshet | 75 | Jahagirdarwadi |
| 16 | Katalpur | 36 | Samrad | 56 | Shirpunj Bk. | 76 | Tale |
| 17 | Sawarkute | 37 | Muthkhel | 57 | Ambit | 77 | Maveshi |
| 18 | Manik Ozar | 38 | Bari | 58 | Lavali Otur | 78 | Shinde |
| 19 | Kauthwadi | 39 | Pendshet | 59 | Purushwadi | 79 | Khadaki Bk. |
| 20 | Shelvihire | 40 | Waki | 60 | Shendi | | |

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VILAS V. GAIKWAD,
Legal Advisor-cum-Joint Secretary to Government.